

अनुदान संख्या 38 - व्यय विभाग
GRANT No. 38 – DEPARTMENT OF EXPENDITURE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	135,25,00	115,81,21	- 19,43,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			15,73,37

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	8945.00	8130.96	7764.24
पु.	R.	-814.04		
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	4580.00	3820.67	3816.97
पु.	R.	- 759.33		

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - व्यय विभाग" के अंतर्गत ₹1180.76 लाख की बचत (₹8945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, लघु निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब होने, परामर्शदाताओं और अन्य बहिःस्रोतन कर्मचारियों को कम

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat – Department of Expenditure" – saving of ₹1180.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8945.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in execution of minor works,

संख्या में काम पर रखे जाने, कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2070” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रशिक्षण - विशेष श्रेणी के राज्यों से अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण” - ₹112.30 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा कम अभ्यर्थियों को प्रायोजित किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल को सेवा प्रभार” - ₹603.66 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएसडीएल से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

hiring of less consultants and other outsourced staff, receipt of less claims and economy measures.

(III) Under Major Head “2070” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Training - Training in Financial Management to Officers from Special Category States” - saving of ₹112.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to less number of candidates sponsored by Central/State Governments for training at National Institute of Financial Management.

(B) “Other Expenditure - Service charges to NSDL for New Pension Scheme” - saving of ₹603.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to receipt of less claims from NSDL.